प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 06.11.2026

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना मेंहदावल पुलिस* द्वारा 01 वारण्टी नाम पता कलामुद्दीन पुत्र इशहाक निवासी भैसामाफी थाना मेंहादवल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री मैनेजर यादव, हे0का0 उपेन्द्र गौड़ ।
थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता 1.रामसागर उर्फ सागर पुत्र परमारथ विश्वकर्मा निवासी रेवड़ा विजयपुर थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, का0 कृष्णनारायण गोंड़।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 8288 द्वारा मोटरसाईकिल व आटो का आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 लोगों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 8288 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत राजग्लोबल स्कूल (नवीन मण्डी) से कालर द्वारा मोटरसाईकिल व आटो का आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 लोगों (01.धीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 सत्यनरायण सिंह निवासी डी0एम0 आवास के पास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02. श्रेयास सिंह पुत्र धीरेन्द्र प्रताप सिंह पता उपरोक्त) के घायल होने सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल लोगों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर उक्त घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 अजीत यादव, हो०चा0 सुरेन्द्र शर्मा।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 238 वाहनों से 279,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 06.11.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 238 वाहनों से 279,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्त गिरफ्तार, ₹17,400/- नकद, जामा तलाशी के ₹2,060/- एवं 04 अदद मोबाइल फोन बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में *थाना कोतवाली खलीलाबाद* पुलिस टीम द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.11.2026 को उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव मय हमराह पुलिस बल क्षेत्र में देखभाल एवं शांति व्यवस्था ड्यूटी पर मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि सूती मिल रेलवे क्रासिंग के पूरब रेलवे लाइन के किनारे बाग में कुछ व्यक्ति ताश के पत्तों से हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा जुआ खेल रहे 04 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी प्रपत्र व जमानतनामा के आधार पर मु0अ0सं0 1005/2026 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

01. रमेश यादव पुत्र स्व0 रमाशंकर निवासी लुचुई वार्ड नं0- 11 थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर।
02. आदित्य यादव पुत्र स्व0 उमेशचन्द यादव निवासी लुचुई वार्ड नं0- 11 थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर।
03. वीरेन्द्र गुप्ता पुत्र स्व0 त्रिभुअन प्रसाद निवासी केशवपुर वार्ड नं0-08 थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर।
04. अनिल सिंह पुत्र स्व0 तीरथ सिंह, निवासी केशवपुर वार्ड नं0-08 थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर।

बरामदगी का विवरण–

1. जुआ खेलने के फड़ से ₹17,400/- नकद।
2. जामा तलाशी से ₹2,060/- नकद।
3. 04 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन।
4. 52 अदद ताश के पत्ते।

इस प्रकार पुलिस टीम द्वारा कुल ₹19,460/- नकद, 04 अदद मोबाइल फोन एवं 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किए गए।

उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध *थाना कोतवाली खलीलाबाद पर धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की गई। **आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अभियुक्तों को जमानत मुचलके पर रिहा किया गया।***

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

चौकी प्रभारी जनपद के विभिन्न स्थानों पर उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, हे0का0 कर्मचन्द चौधरी, हे0का0 मैनेजर प्रसाद, का0 कृष्णनाराण गोंड, का0 जितेन्द्र यादव।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए रिहायशी इलाके में असुरक्षित तरीके से भण्डारित कुल 05 कुन्तल 20 किलो अवैध पटाखा बरामद करते हुए अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के निकट पर्यवेक्षण में अवैध पटाखों के भण्डारण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 05.11.2026 को प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री अजय कुमार सिंह*** मय पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील के दौरान बण्डा बाजार में अवैध पटाखा भण्डारित करने वाला अभियुक्त राजकुमार मद्धेशिया पुत्र फेकू प्रसाद, निवासी बण्डा बाजार, थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से कुल 05 कुन्तल 20 किलो विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद करते हुए मु0अ0सं0-728/2026, धारा 288 बीएनएस एवं 9बी विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त - राजकुमार मद्धेशिया पुत्र फेकू प्रसाद निवासी बण्डा बाजार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण-

05 कुन्तल 20 किलोग्राम विभिन्न प्रकार के पटाखे।

पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह, का0 महेन्द्र निषाद, का0 जितेन्द्र यादव।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत अवैध पटाखों के भण्डारण एवं बिक्री के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। रिहायशी क्षेत्रों में ज्वलनशील पदार्थों का असुरक्षित भण्डारण करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।